(भारत का राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 03/11 2014 सा.का.नि.----- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637क की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 642 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कठिनाइयों को हटाने संबंधी आदेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एततद्वारा कंपनी विधि बोर्ड(आवेदन और अर्जी पर फीस) नियम, 1991 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:

 (1) इन नियमों का नाम कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन और अर्जी पर फीस) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

 कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन और अर्जी पर फीस) नियम, 1991 में अनुसूची में क्रम संख्या 33 के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित की जाएगी अर्थातः-

"34	कंपनी अधिनियम, 2013	अप्रैल से मार्च से भिन्न किसी अन्य अवधि को	5,000
	की धारा 2 (41)	वित्तीय वर्ष के रूप में अनुज्ञात करना	
35	कंपनी अधिनियम, 2013	सदस्यों के रजिस्टर का शुद्धिकरण	500
	की धारा 58 और 59		
36	कंपनी अधिनियम, 2013	ऐसे भुगतान न करने के परिणामस्वरूप किसी	100
	की धारा 76 के साथ	देय धनराशि अथवा किसी हानि अथवा नुकसानी	
	पठित धारा 73 (4)	के भुगतान के लिए कंपनी को निर्देश देना	
37	कंपनी अधिनियम, 2013	कंपनी को जमा राशि की वापसी के लिए	5,000." -
	की धारा 74 (2)	युक्तियुक्त विचार किए गए समय को बढाने के	
		लिए अनुज्ञात करना	

[फा.सं. 1/19/2014-सीएल-v]

3178414

अमरदीप सिंह भाटिया संयुक्त सचिव, भारत सरकार टिप्पण: मूल अधिसूचना सा.का.नि. 290 (अ) तारीख 31.5.1991 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और जिसके पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया:-

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 787 (अ)	29.9.1992
2.	सा.का.नि. 219 (अ)	6.3.2000
3.	सा.का.नि. 510 (अ)	22.7.2002
4.	सा.का.नि. 547 (अ)	10.7.2012

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section

#### 3 sub-section (i)]

### MINISTYRY OF CORPROATE AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2014

G.S.R. \_\_\_\_ In exercise of the powers conferred by section 642 read with sub-section (2) of section 637A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and the removal of difficulty Orders issued by the Central Government under section 470 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Fees on Applications and Petitions) Rules, 1991 namely:-

1 (1) These rules may be called the Company Law Board (Fees on Applications and Petitions) Amendment Rules, 2014.

They shall come into force on the date of their publication in the (2)Official Gazette.

2. In the Company Law Board (Fees on Applications and Petitions) Rules, 1991, in the Schedule, after serial number 33 the following shall be inserted, namely:-

"34	2(41) of the Companies	Allowing any period other than	5,000
	Act, 2013	April to March as financial	
		year.	
35	58 and 59 of the	Rectification of register of	500
	Companies Act, 2013	members	
36	73(4) of the Companies	Directing the company to pay	100
	Act, 2013 read with	the sum due or for any loss or	
	section 76	damage incurred as a result of	
		such non-payment.	
37	74(2) of the Companies	Allow further time as	5,000.".
	Act, 2013	considered reasonable to the	
		company to repay the deposit.	

[F. No. 1/19/2014-CL-V]

Amardeep Singh Bhatia Joint Secretary to the Government of India Note: The Principal Notification was published vide No: GSR 290(E) dated 31.5.1991 and subsequently amended by:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	GSR 787(E)	29-9-1992
2.	GSR 219(E)	6-3-2000
3.	GSR 510(E)	22-7-2002
4.	GSR 547(E)	10-7-2012